सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान सूचना आयोग

राजस्थान सूचना आयोग

सी-विंग, प्रथम तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1—2
2.	अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ	3—5
3.	अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम	6—7
4.	राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	8—21
5.	अधिनियम का क्रियान्वयन	22—24
6.	संप्रेषण	25—27
7	परिशिष्ट —1	28—31

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं, अथवा नहीं ?यहीं आवश्यक है सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार । अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा–जोखा नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना कामकाज का एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षो में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था,

उसे सूचना के अधिकार का अधिनियम द्वारा प्रभावहीन कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार होगा।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्रीय सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक '' प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक '' बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधनों की सिफारिशें सरकार को सौंपी गई। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई, 2005 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुई।

सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, स्थानीय शहरी निकाय, पंचायती–राज संस्थाएॅ, तथा उन सभी निकायों, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है, पर लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

गोपनीयता के अंधेरों से निकलकर पारदर्शिता के उजाले की ओर ले जाने वाले इस प्रयास, जिसे अब हम ''सूचना का अधिकार अधिनियम'' के नाम से पुकारते हैं, का स्थापन वर्ष 2005 की 15 जून को जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़ कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में हुआ। अधिनियम ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त कर, भारतीय संविधान की मूल भावना " We the people of India " कथन को प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है। अतः इसे भारतीय नागरिक के ''जीवन जीने व स्वतान्त्रय के संवैधानिक अधिकार'' को आगे बढ़ाने का एक माध्यम माना जा रहा है। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में हैं:–

सूचना आयोग :–

प्रथम यह कि लोक प्राधिकारी के कार्यालय एवं उसके अधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच हेतु, अधिनियम के तहत एक शासन पद्धति स्थापित की गई है जिसे केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठित किया जाकर मूर्तरूप दिया गया है। प्रत्येक आयोग एक वैधानिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, इसे दी हुई शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा नियम के अन्तर्गत इसे सौंपे गये कार्यो का निष्पादन करेगा। आयोग के क्रियाकलापों सम्बधी सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्धन की शक्तियॉ मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगी। शिकायतों की जॉच हेतु सम्बन्धित पक्ष को बुलाने, रिकॉर्ड को तलब करने आदि हेतु आयोग में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित की गई हैं।

स्वैच्छिक प्रकाशन :–

इसके प्रभावी होने पर सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रकाशन के 120 दिवसों की समयबद्ध अवधि में 17 सूत्रीय सूचनाओं को (धारा 4–ए के तहत) प्रकाशित करनी होगी। इसमें रिकार्ड्स का तैयार होना, उसका कम्प्यूटरीकरण कर नेट प्रणाली से इस प्रकार जोड़ा जाना है कि प्रत्येक नागरिक की उस तक पहुँच सम्भव हो। सूचना जन–जन तक आसानी से पहुँचे, सम्बन्धित प्रक्रिया में विभिन्न माध्यमों – समचार पत्रों, नोटिस बोर्डों में प्रकाशन के साथ ही जनता के बीच घोषणाओं व टी.वी., रेडियों आदि में प्रसारण से दर्शाने की कार्यवाही की गई है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रति वर्ष अद्यतन करने का भी प्रावधान है।

सूचना अधिकारियों का पदनामित करना :–

प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में लोक

सूचना अधिकारी पदनामित किये जाने का प्रावधान है। उनके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपमण्डल स्तर तथा उपजिला स्तर पर पदनामित किये जाने का प्रावधान, जो नागरिकों की लम्बी दूरियाँ तय न करनी पड़े, के कारण किया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी प्राप्त आवेदन को सार्वजनिक सूचना अधिकारी को भेजने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है।

आवेदन :–

नागरिक को सूचना प्राप्त करने के कारण, उद्देश्य आदि से किसी प्रकार के प्रकटन न करने की छूट दी गई है। अधिनियम का फलक अत्यन्त व्यापक है, जिसके अर्न्तगत सरकार द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्व में, नियंत्रित अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर–सरकारी संगठनो सहित सभी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सम्मिलित हैं। एक विशेष प्रावधान यह भी है कि पक्षेतर व्यक्ति के बारे में सूचना देने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जावेगा।

समयबद्धता :–

अधिनियम में समयबद्धता का प्रावधान किया गया है :–

(क) लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन का समय सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपादित किया गया है।

(ख) लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नही है।

(ग) प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 30 दिन में अपील का निर्णय नही करता (जिसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती हैं) तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) यदि आवेदन किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर आवेदन सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकारी को अन्तरित किये जाने का प्रावधान है।

दण्डारोपण :–

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द–बुर्द करने, रूकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर रू. 250/– प्रतिदिन की दर से दण्डारोपण कर सकता है जो राशि अधिकतम 25,000/–रुपए तक हो सकती है। सूचना न देना, समय पर न देना, गलत अधूरी या भ्रामक सूचना देना, सूचना को नष्ट करना या सूचना देने में बाधा उत्पन्न करना अधिनियम के तहत दोषयुक्त व्यवहार की परिभाषा में आते हैं। दोषी के विरूद्ध आयोग को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति के अधिकार का भी प्रावधान किया गया है।

<u>नियम बनाने तथा अधिनियमों का प्रभाव :–</u>

अधिनियम के तहत केन्द्र/राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकरणों को अधिनियम को संचालित करने हेतु स्वयं नियम बनाने की शक्तियां प्रावधित की गई है, यह भी प्रावधित किया गया है कि यदि कोई कानून, जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 भी प्रावधित है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम ही प्रभावी माना जावेगा। अधिनियम के अन्तर्गत आदेश को किसी न्यायालय में किसी मुकद्दमे, आवेदन या अन्य कार्यवाही से मुक्त रखा गया है।

आज के वैज्ञानिक युग में जब सूचना तन्त्रों का बहुत विकास हो चुका है एवं समाज स्वयं ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहाँ सूचना उन्हें कई साधनों से प्राप्त हो रही है, वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अपनी प्रसिद्धि, जन मानस में स्वयं बना रहा है। इस अधिकार को गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी पहुँचने पर ही इसका सही उपयोग नागरिकों एवं सरकार में मैत्रीपूर्ण सम्पर्क बनाने में उद्देश्य को सिद्ध करेगा।

अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये नियम

1- सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, सूचना प्राप्त करें। इस हेतु राजस्थान सरकार ने अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत दिनांक 12.10.2005 को परिपत्र जारी कर नियम बनाये जो दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित होकर प्रभावी हुए।

2- नियम में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नियम 6 के तहत किसी प्रकार की सूचना चाहता है अथवा रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता है तो वह उस हेतु निर्धारित शुल्क की अदायगी कर निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा। राशि नगद में अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा देय होगी। शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित रूप से है :–

क्रमांक	सूचना विवरण	कीमत / शुल्क
धारा 6 (1)	आवेदन सहित	रू. 10/– प्रति आवेदन पत्र
धारा 7 (1)	(क) बनाये / नकल दिये गये	रू. 2/– प्रति पृष्ठ
	(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि हेतु	प्रतिलिपि का वास्तविक लागत / प्रभार
	(ग) सेम्पल या मॉडल के लिए	वास्तविक लागत या कीमत
	(घ) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	एक घण्टे के पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग पर रू. 5/–

अधिनियम की धारा 2(e) में राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति को सक्षम प्राधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है और धारा 28 के अनुसार उन्हें भी स्वयं के नियम बनाने के लिये सशक्त किया गया है। महामहिम राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा ने राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों को ही अपना लिया है। परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006 बनाये हैं, जिसके अनुसार आवेदन का प्रारूप निर्धारित कर

दिया गया है। आवेदन शुल्क रू0 100/— रखी गई है, जो नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में देय है। इसी प्रकार प्रथम अपील का भी रू0 100/— शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रमाणित छाया प्रतियों भी राजस्थान उच्च न्यायालय नियम अथवा जनरल रूल्स (सिविल), 1986 में प्रावधित शुल्क देकर ली जा सकती है।

1- नियम 6 व 7 में आयोग को की जाने वाली अपील हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना—पत्र, उसके साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र का ब्यौरा दिया गया है, जबकि नियम 7 में सुनवाई की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है।

2- निर्धारित पत्र में याचिकाकर्ता तथा उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम और पता होना चाहिए, जिसके विरूद्ध याचिका की गई है। साथ ही उसमें संक्षिप्त रूप से सम्बन्धित आदेश का ब्यौरा व तथ्यों का उल्लेख किया जावेगा। याचिका यदि अस्वीकृत मान लेने के उपलक्ष में दायर की जा रही हो तो आवेदन पत्र के मसौदे में संख्या, तिथि व उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन किया गया था, का उल्लेख प्रार्थी द्वारा शामिल किया जाना होगा। याचिकाकर्ता को माँगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा साथ ही राहत हेतु आधार को भी बताना होगा।

3- नियम 6 के अर्न्तगत अपील के प्रार्थना—पत्र के साथ ही जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उसकी सत्यापित प्रति व जिन दस्तावेजों पर प्रकरण आधारित है, उनकी प्रतियॉं भी लगानी होगी।

4- अपील के विनिश्चय हेतु आयोग अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र पर दिये लिखित साक्ष्य पर विचार के साथ ही सम्बन्धित दस्तावेजों और अभिलेखों का परिशीलन करेगा। आयोग चाहे तो वह प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त तथ्यों की भी जाँच कर सकेगा। नियमों में यह भी प्रावधित है कि आयोग उस अधिकारी की सुनवाई भी आवश्यकता होने पर करेगा, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया है तथा जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील दायर हुई है। नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रकरण के निर्णय हेतु आयोग चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति से भी शपथ— पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

नियमों के समापन पर यह भी निर्देशित है कि अपील पर साक्ष्य तथा सुनवाई खुले में होगी, आदेश लिखित में होगा तथा उसकी सूचना अपीलार्थी को देगा।

यह सभी बातें स्पष्ट करती है कि अपील की सुनवाई की प्रक्रिया एक खुले न्यायालय की भाँति पूर्णतया पारदर्शक व न्यायानुकूल होगी।

अध्याय – 4

राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत् राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यक्तानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.06 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप श्री एम.डी.कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। श्री एम0डी0 कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.4.2011 को पूर्ण हुआ। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 5.9.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। इसी प्रकार दिनांक 1.9.2010 को सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 5.9.2011 से मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने पर यह पद वर्ष के अन्त तक रिक्त है। आयोग एक वैधानिक निकाय है, जो कि पूर्णतया स्वायत्तशाषी है तथा जिसे अपने कार्यो के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर मे है।

आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार हैः–

(ब)संगठनात्मक ढाँचाः–

राजस्थान सूचना आयोग

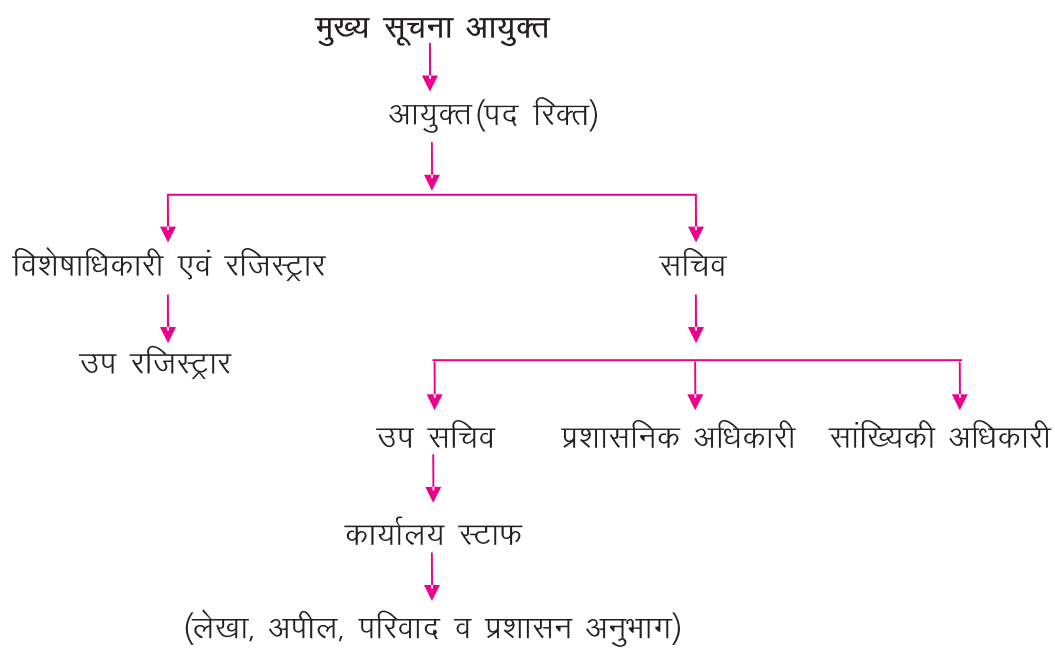

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18,19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है । आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादन करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है। राज्य सूचना आयोग मे निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षक के अन्तर्गत किया जा सकता है :–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ :– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं –

(क) राज्य के राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी ने उसकी आवेदन सूचना/अपील मीमों को अग्रेषित करने के लिये लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से मना कर दिया है।

(ग) लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसमें मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) कानून में सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य प्रकरण। धारा 18(1)

राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है।

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थित होने के लिये बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित सशपथ साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये विवश करना;

(ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतिलिपियाँ मंगवाना;

(ड़) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिये सम्मन जारी करना; और

(च) अन्य निर्धारित प्रकरण।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच मे लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है।

सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य में प्रमाणीकरण का भार संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति आरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

(क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना आवेदन को बदनियती से अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

यदि संबंधित सूचना आयोग की, शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यह धारणा बनती है तो वह लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

(4) अधिनियम की कियान्वयन सुनिश्चिति :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है:–

(1) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

(2) लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।

(3) कतिपय सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध मे।

(6) उससे अधिनियम की पालना के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाने के संबंध में। धारा 19(8)(ए)

(7) सूचना आयोग अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। धारा 19(8)(ख)

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत उसे अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। यह वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार उक्त रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

(5) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(6) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(7) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग के वर्ष 2011–2012 के लिये 112.00 लाख रूपये ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटन किया गया है। जिसमें से 92.77 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय गठन से अक्टूबर, 06 तक योजना भवन में एवं नवम्बर, 06 से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) में एक आवासीय बंगले में कार्यरत था। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ, में कार्य रहा है। वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) परिसर में कार्यालय भवन निर्माण हेतु रू0 5.00 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। रू0 2.50 करोड़ राज्य सरकार द्वारा एवं रू0 2.50 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। माननीय मुख्यमन्त्री श्री अशोक गहलोत के कर कमलों द्वारा दिनांक 20.10.2011 को भवन का शिलान्यास किया गया। राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम को निर्माण करवाने के लिये रू. 2.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने पी.डी. खाते में स्थानान्तरित कर दी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(7) नियमावली :–

आयोग ने अपनी स्वयं की ''मैनेजमेन्ट'' नियमावली बना ली है।

(8) क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी अधिनियम की धाराऐं 18 से 20 व धारा 25 के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही की व आवश्यक कदम उठाये हैं। स्थापना से लगभग चार वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक अधिकरणों की स्थापना व उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व कार्यरत करने में सफलता प्राप्त हुई, साथ ही उन्होने स्वयं खुद अपनी संस्था की स्थापना, उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक

पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में ही पुकार है " सूचना का अधिकार ", एक ही माँग है कि "मैं सूचना प्राप्त करने का अधिकारी हूँ।" परिणामस्वरूप वर्ष 2011–2012 में " सूचना के अधिकार" को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलो पर उठाये गये कदमो की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है। वर्ष के प्रारम्भ में 150 परिवाद लम्बित थे तथा वर्ष में 597 परिवाद पंजीकृत किये गए जिनमें से 310 परिवादों का निस्तारण किया गया एवं वर्ष के अंत में 437 परिवाद लम्बित रहे, जिसका मासिक विस्तृत विवरण निम्नलिखित रुप से है :–

परिवादों की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष शिकायतों की संख्या
अप्रैल, 2011	29	16	163
मई, 2011	74	0	237
जून, 2011	114	0	351
जुलाई, 2011	13	0	364
अगस्त, 2011	56	0	420
सितम्बर, 2011	16	05	431
अक्टूबर, 2011	04	32	403
नवम्बर, 2011	49	79	373
दिसम्बर, 2011	70	47	396
जनवरी, 2012	53	42	407
फरवरी, 2012	61	25	442
मार्च, 2012	58	63	437
योग	**597**	**310**	

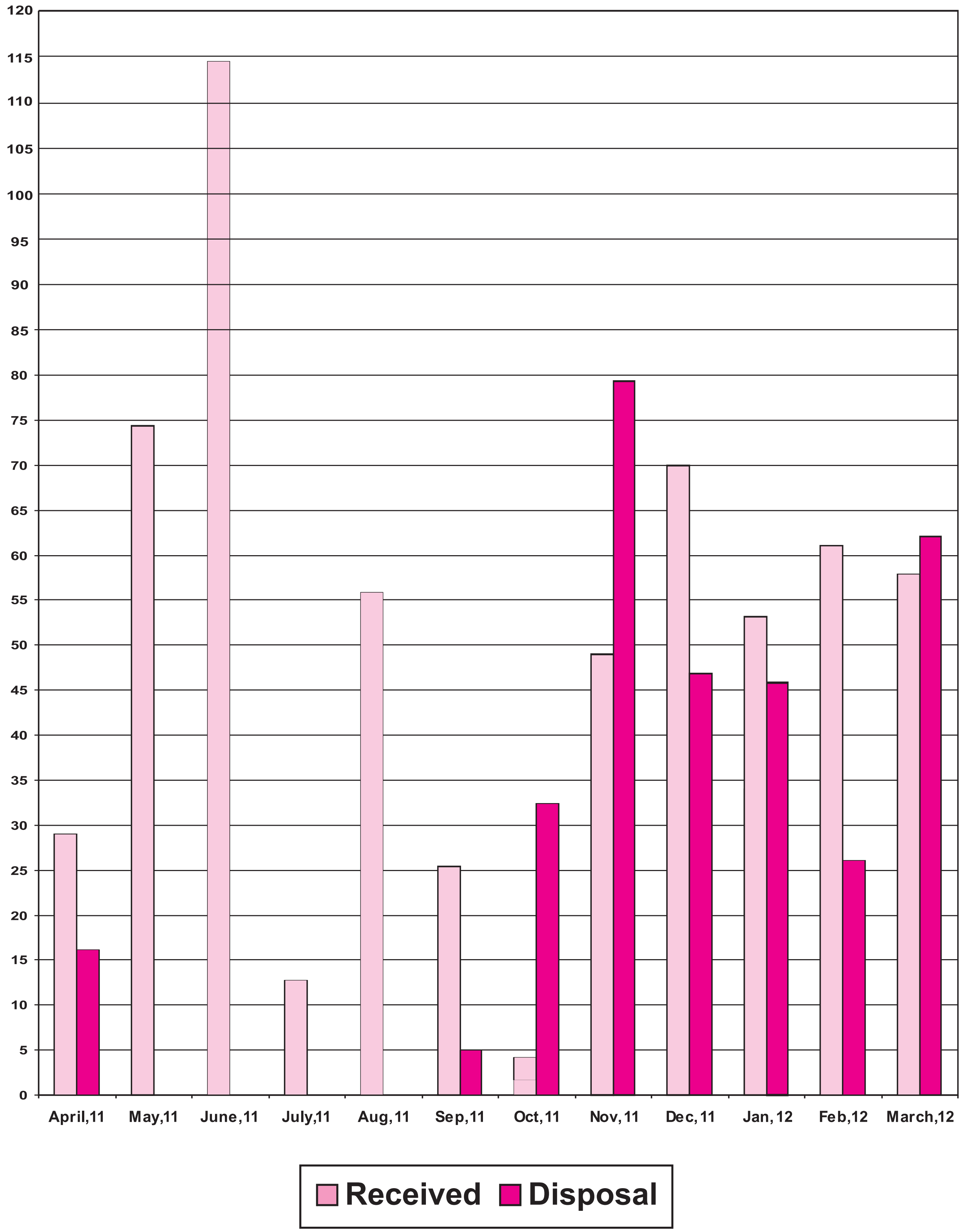

Progress of Complaints

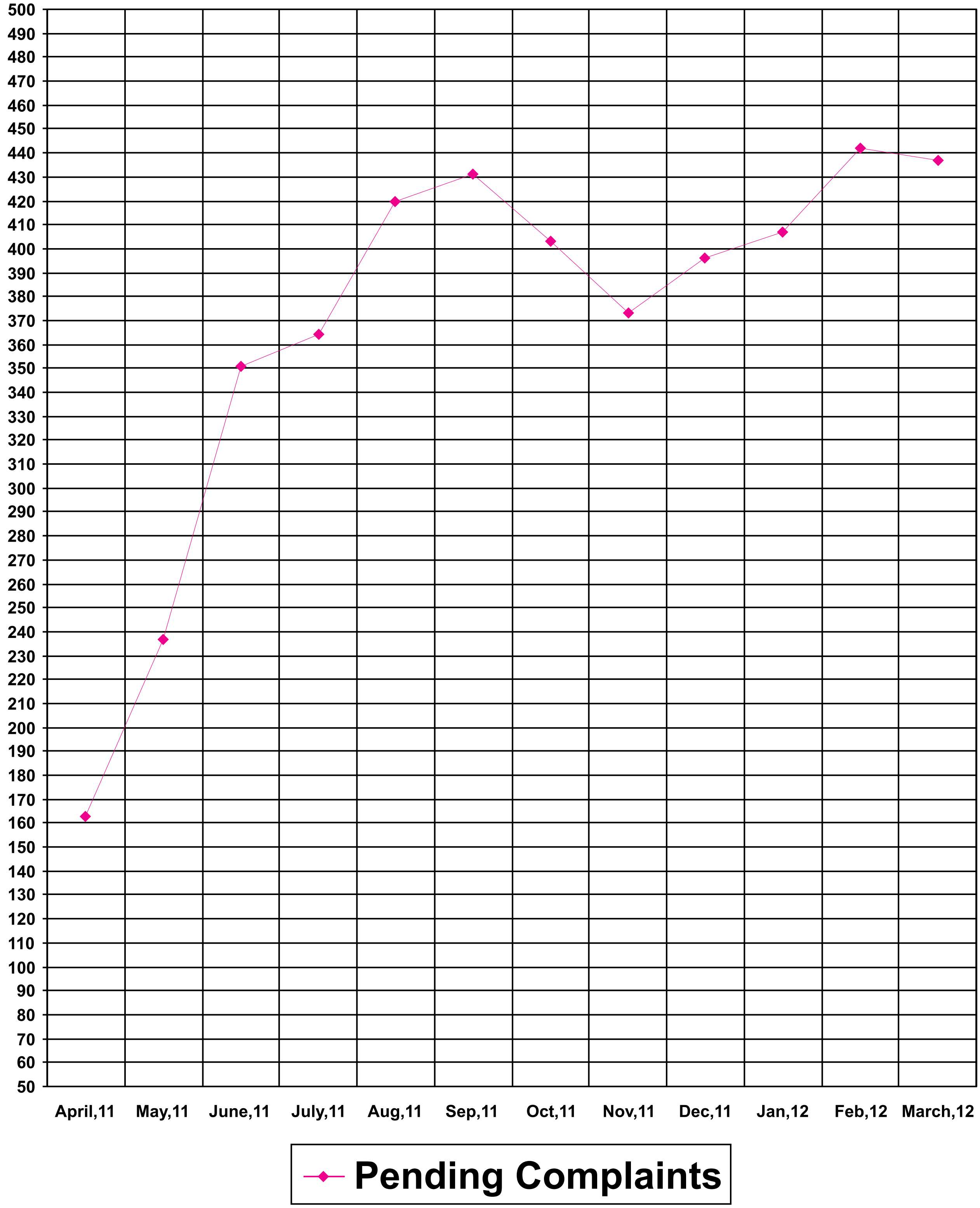

Progress of Pending Complaints

अपील

वर्ष 2011–2012 के प्रारम्भ में 3647 अपीलें लम्बित थीं तथा वर्ष में 7260 अपीलें पंजीकृत की गई जिनमें से 3088 अपीलों का निस्तारण किया गया तथा वर्ष के अन्त में 7819 अपीलें लम्बित रहीं, जिनका मासिक विवरण निम्नलिखित रुप से है।

अपील की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2011	1040	184	4503
मई, 2011	679	0	5182
जून, 2011	670	0	5852
जुलाई, 2011	595	0	6447
अगस्त, 2011	658	0	7105
सितम्बर, 2011	637	365	7377
अक्टूबर, 2011	449	254	7572
नवम्बर, 2011	347	562	7357
दिसम्बर, 2011	875	450	7782
जनवरी, 2012	460	436	7806
फरवरी, 2012	433	405	7834
मार्च, 2012	417	432	7819
योग	**7260**	**3088**	

नोट :– मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने से माह अप्रैल के मध्य से सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक आयोग स्तर से सुनवाई नहीं हुई।

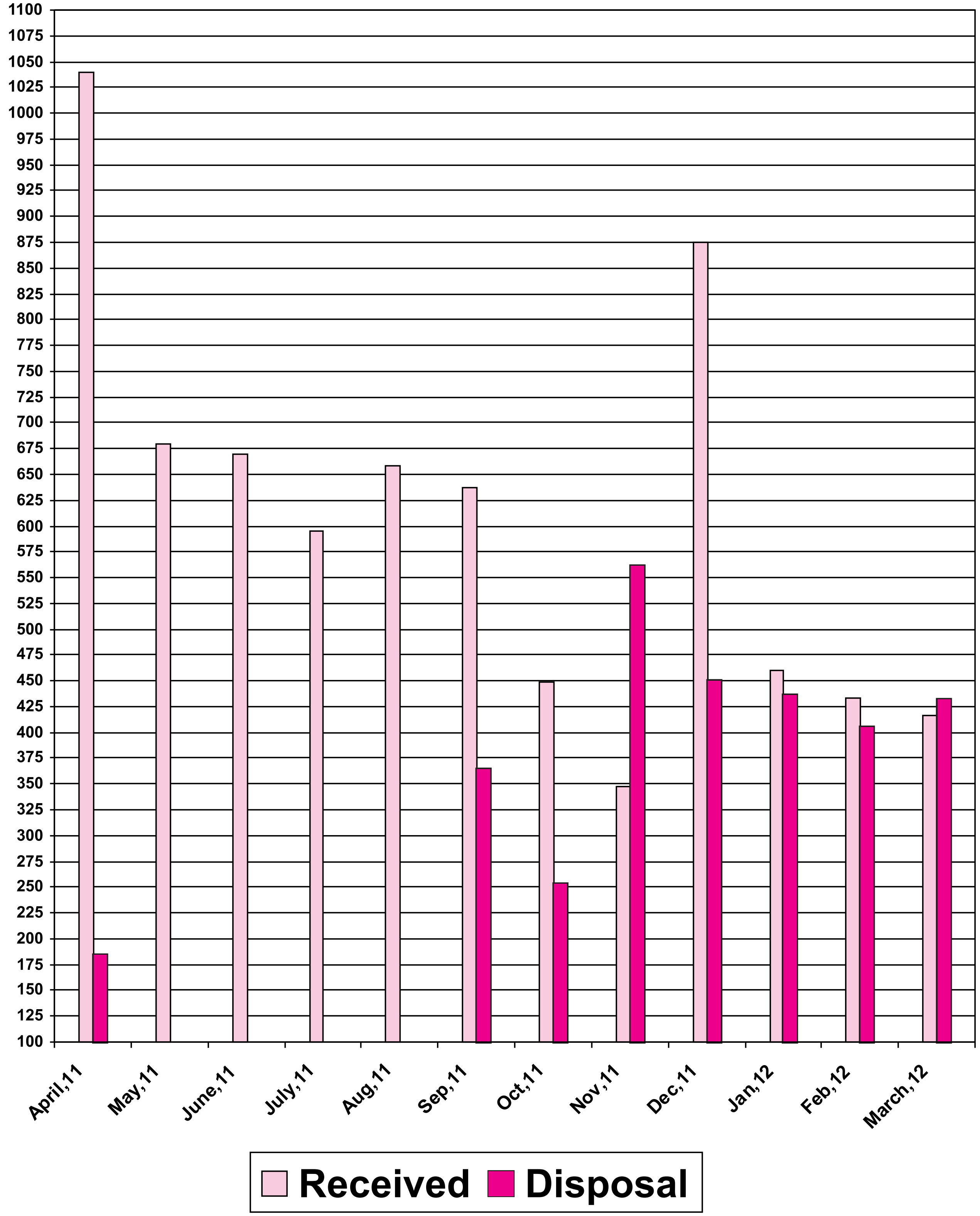

Progress of Appeals

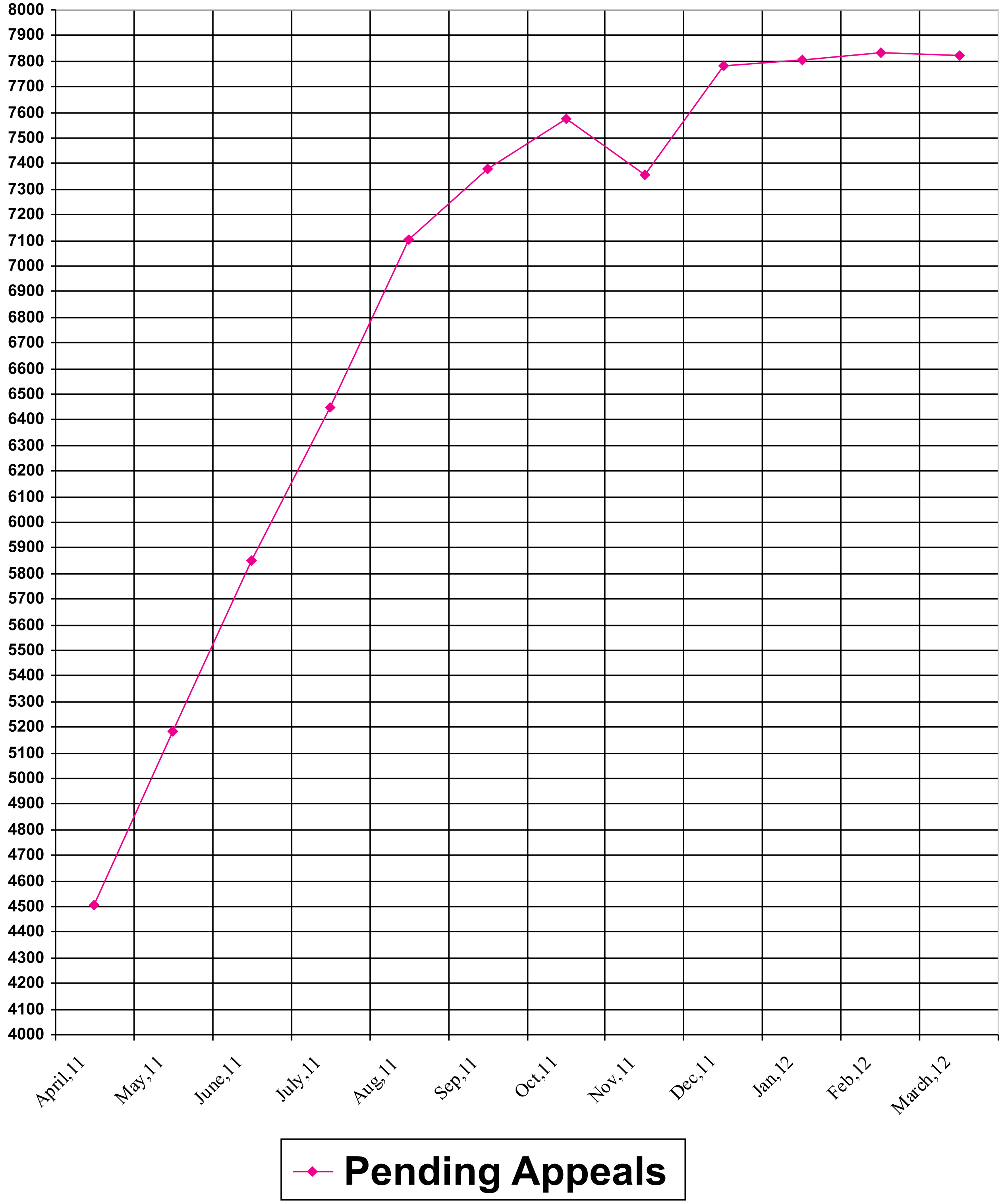

Progress of Pending Appeals

(9). लोक सूचना अधिकारी :— पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायः सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ इस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति आदेश कर दिये है।

इन अधिकारियों को ही नही, बल्कि स्वायत्तशाषी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के पंचों/सरपंचों/ पंचायत समितियों के प्रधानों आदि के प्रशिक्षण हेतु भी समुचित आदेश प्रदान किये गये।

परिणामस्वरूप आज यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ कही कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, वहाँ ''सूचना के अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। इस आदेश की व्यापक रूप से क्रियान्विति हो रही है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राइसैम व Institute of Local Bodies हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

(10) आलोच्य वर्ष में निस्तारित अपीलों के आधार पर विभागवार स्थिति

	वर्ष 2011–2012 में कुल निस्तारित अपील	3088	
	विभागों के विरूद्ध अपील	1999	65 %
	पंचायतीराज संस्थाओं के विरूद्ध अपील	318	10 %
	स्थानीय निकायों के विरूद्ध अपील	439	14%
	सार्वजनिक उपक्रम के विरूद्ध अपील	319	10 %
	पुनरावलोकन (Review)	13	1 %
क	विभागों के विरूद्ध अपीलों का प्रतिशत	1999	
	1. शिक्षा विभाग	23 %	
	2. कलक्टर्स	12 %	
	3. विश्वविद्यालय	7 %	
	4. चिकित्सा विभाग	7 %	
	5. पुलिस विभाग	7 %	
	6. राजस्थान लोक सेवा आयोग	4 %	
	7. नगरीय विकास विभाग	2 %	
	8. सहकारिता विभाग	3 %	
	9. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	4 %	
	10. कार्मिक विभाग	2 %	
	11. उद्योग विभाग	1 %	
	12. अन्य विभाग	28 %	
ख	पंचायतीराज संस्थाओं के विरूद्ध अपीलों का प्रतिशत	318	
	1. ग्राम पंचायत	50 %	
	2. पंचायत समिति	25 %	
	3. जिला परिषद	25 %	
ग	स्थानीय निकाय के विरूद्ध अपीलों का प्रतिशत	439	
	1. जयपुर विकास प्राधिकरण	24 %	
	2. जोधपुर विकास प्राधिकरण	05 %	
	3. नगर विकास न्यास	08 %	
	4. जयपुर नगर निगम	23 %	
	5. अन्य नगर निगम	07 %	
	6. नगर परिषद	08 %	
	7. नगर पालिका	25 %	

घ	सार्वजनिक उपक्रम के विरूद्ध अपीलों का प्रतिशत	319
	1. विद्युत वितरण निगम	51 %
	2. आवासन मण्डल	12 %
	3. सहकारी संस्थायें	4 %
	4. सहकारी बैंक	6 %
	5. कृषि उपज मण्डी	3 %
	6. राज. राज्य पथ परिवहन निगम लि.	3 %
	7. रीको	3 %
	8. अन्य	18 %

(12). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2011–2012 में 130 अपीलें/परिवादों में कुल 16,97,000/–रू. की शास्ति आरोपित की गई । आयोग के गठन से वर्ष के अन्त तक की गयी शास्ति में से आलोच्य वर्ष में 10,62,000/–रू. जमा की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत 30,500/–रू. की क्षतिपूर्ति के आदेश प्रदान किये गये । आयोग के गठन से वर्ष के अन्त तक किये गये क्षतिपूर्ति आदेशों के विपरीत आलोच्य वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत 20,500/– रू. का सम्बन्धित अपीलार्थियों/परिवादियों को भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि आलोच्य काल में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति न होने से चाह माह तक आयोग में सुनवाई नहीं हो सकी।

आरोपित शास्ति एवं लगाई गई क्षतिपूर्ति का सारणीयन निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रूपयों में)		क्षतिपूर्ति (रूपयों में)	
	आरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील/परिवाद	16,97,000	10,62,000	30,500	20,500

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने ''सूचना का अधिकार अधिनियम'' के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम दिनांक 13.10.2005 को प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति व मुख्यालय पर पदस्थापन हुआ। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित निर्धारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में अन्तरिम व्यवस्था की गई। बजट आवंटन, उपलब्धि व उपयोग नियमानुसार परिचालित है। आयोग ने अपने न्यायिक कार्यों/प्रक्रियाओं हेतु अपने ''रेगूलेशन्स'' बनाए है जिन्हें राजपत्र में प्रकाशित करवाया है। आयोग के स्वतन्त्र भवन का शिलान्यास भी आलोच्य वर्ष में हो चुका है। आशा है कि अगले वर्ष में आयोग नये भवन मे कार्य प्रारम्भ कर देगा।

राज्य सरकार व राज्य आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य मुख्यालय में सचिवालय स्तर पर उप सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागो हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलेट अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपील अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/महापौर/सभापति अपील अधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपील अधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य

सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जहाँ नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह प्रयास सराहनीय रहा, वहीं आज भी आशा की जाती है कि हर विभाग अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप एक सीमा रेखा (Cutting Edge Level) अंकित करेगा, जहाँ तक उसका प्रतिनिधि '' लोक सूचना अधिकारी '' उपलब्ध होकर, सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, सूचना उपलब्ध करायेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्‌ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करावें व वेबसाइट पर दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। कई विभाग, जैसे–शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत विभाग व कुछ अन्य ने अत्यन्त विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर प्रसारित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती है। धारा 4 के अर्न्तगत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। ज्यादातर विभागो ने इस नियम की अनुपालना की है। कई विभागों को यह नही मालूम कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण राजकीय निर्देशानुसार ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' की आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं हेतु प्रशिक्षित भी हुए अथवा नहीं, जिस हेतु उनके स्वयं के नीति निर्देश है। उनके लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय–समय पर कितने परिवाद/अपील आये, कितने निर्णित हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नही होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न लोक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति परिशिष्ट – 1 पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) मे यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार के सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर

संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके ।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओ को स्वयं ऐच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी से विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन ना किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं मे एकरूपता लाने के लिए आयोग द्वारा प्रारूप (templet) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये एवं इस हेतु सभी लोक प्राधिकरणों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।

सूचना चाहने वाले नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की एक निर्देशिका बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे एवं कुछ जिलों में यह मामूली कीमत पर देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिए अधिकारियों की सोच मे परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इस अल्प,समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति संतोषजनक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात्, लगभग छः वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। राज्य सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से है :–

1. यह कि अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत सूचनाओं की मॉग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहॉ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है, किन्तु जिस सूचना को देने में, पुराने रिकॉर्ड की छानबीन करनी पड़े या फिर अनेकों पत्रावलियों को देखकर उनमें से तथ्य एकत्रित करने की आवश्यकता हो, वहॉ यह पाया जा रहा है कि अधिकारी/कर्मचारीगणों में कुछ अनचाहेपन या टालमटोल की मानसिकता है।
4. वस्तुतः सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें व लाभ उठावें। इस दिशा में अब तक राजकीय स्तर पर कोई विशेष प्रयास नही किये गये हैं। गैर–राजकीय संगठन भी इस क्षेत्र में अपना योगदान देने हेतु आगे आये हैं, पर उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होने के कारण उन्हे ज्यादा सफलता नही मिल पाई है। वस्तुतः यदि इस अधिकार को व्यापक रूप दिया जाना है तो सरकार को इस दिशा में अपनी ओर से भी कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे।

5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में प्रथमतया हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेकों लोक सूचना अधिकारीगणों तथा ऐसे सभी स्तरों तक, जिनका अधिकार के इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाऍं, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नही पहुँच पाई है, जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत जिन लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे है, जिन्हे विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नही होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है।

8. सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रकरण की " प्रथम अपील " एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस विषयक वस्तुःस्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि " प्रथम अपील " के निपटारे की स्थिति कतई सन्तोषप्रद नही है। प्रथम अपील सुनने वाले लोक अधिकारीगण अपने यहॉ लम्बित प्रकरणों को या तो निपटा ही नही रहे हैं, या फिर यह निपटारा नियमों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर नही हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण मजबूर होकर राज्य आयोग के सम्मुख " दूसरी अपील " ले जा रहे हैं, जहाँ इसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

9. राज्य सरकार के स्तर पर अब सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है जो कि अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

10. अधिनियम की धारा – 4 में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता

को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाईट'' पर कुछ सूचनाऍ उपलब्ध कराई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ' वेबसाईट्स ' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेकों सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है।

11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा वित्त पोषित है, वे इसमें प्राविधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेकों संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही है।,

12. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने '' रिकॉर्ड्स '' का सही रख–रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है।

जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारी व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारी/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोतर विकास होगा, जो कि प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2011-12)

प्रपत्र – क

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाऐं प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2011-12 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	राजस्व मण्डल	817	809	8	800	15	2	0	10366
2	समेकित बाल विकास विभाग	224	210	14	190	28	4	2	5247
3	विभागीय जांच	7	7	0	7	0	0	0	190
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3224	2330	894	2559	324	122	219	75248
5	आयुर्वेद विभाग	611	309	302	496	76	12	27	23664
6	गृह विभाग	132	131	1	132	0	0	0	6652
7	वित विभाग	8820	7689	1131	8363	124	57	276	128753
8	पर्यावरण	22	20	2	21	1	0	0	386
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	184	184	0	140	35	0	9	1978
10	अल्प संख्यक मामलात	170	170	0	128	38	0	4	1700
11	स्वायत शासन विभाग	845	845	0	422	368	0	55	27735
12	जयपुर विकास प्राधिकरण	9157	9157	0	8066	1091	0	0	582327
13	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	96	96	0	96	0	0	0	1290
14	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल विभाग	41	41	0	41	0	0	0	410
15	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	956	0	956	850	106	0	0	11360
16	जवाहर कला केन्द्र	9	9	0	8	0	1	0	90
17	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	107	107	0	107	0	0	0	3942
18	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	9	9	0	9	0	0	0	90
19	राजस्थान निर्वाचन आयोग	44	44	0	44	0	0	0	607
20	आयोजना विभाग	58	58	0	54	4	0	0	777
21	एच.सी.एम. रीपा	42	42	0	41	0	0	1	632
22	विधि विभाग	279	0	279	223	20	36	0	5059
23	उर्जा विभाग	8264	8227	37	6199	1098	0	967	152360
24	उद्योग विभाग	1357	640	717	1036	188	53	80	22020
25	जल संसाधन विभाग	86	61	25	44	42	0	0	1834
26	तकनीकी शिक्षा विभाग	126	126	0	126	0	0	0	2465
27	राजभवन, जयपुर	169	0	169	167	0	2	0	1571
28	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रीमण्डल विभाग	2452	2219	233	2321	86	40	5	23102
29	राजस्थान लोक सेवा आयोग	5806	0	5806	1561	1471	2504	270	72351

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2011-12 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
30	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	16	16	0	5	11	0	0	486
31	सहकारिता विभाग	4078	3495	583	3631	196	41	210	110912
32	राजस्थान आवासन मण्डल	3601	3299	302	3449	113	17	22	95614
33	कृषि विभाग	2048	1442	606	1921	77	23	27	110460
34	सावर्जनिक निमाण विभाग	2909	2174	735	2484	212	111	102	107881
35	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	26	0	26	26	0	0	0	200
36	नगर निगम, जयपुर	2808	2802	6	2269	230	2	307	29097
37	सैनिक कल्याण	69	69	0	69	0	0	0	480
38	श्रम एवं नियोजन विभाग	175	158	17	160	1	4	10	18904
39	पर्यटन विभाग	346	343	3	278	47	11	10	22016
40	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1826	1262	564	1325	394	27	80	8266
41	राजस्थान सूचना आयोग	719	719	0	719	0	0	0	10666
42	उच्च शिक्षा विभाग	629	530	99	423	201	0	5	7441
43	देवस्थान विभाग	1060	859	201	960	45	14	41	36912
44	विधुत नियामक आयोग	33	33	0	32	0	0	1	594
45	निर्वाचन विभाग	645	379	266	604	23	5	13	10678
46	राज्य महिला आयोग	98	98	0	97	0	0	1	3662
47	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	66	66	0	66	0	0	0	660
48	कार्मिक विभाग	1482	0	1482	1440	17	25	0	19626
49	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	3711	2952	759	3111	227	150	223	211737
50	चिकित्सा शिक्षा विभाग	784	286	498	685	83	11	5	17650
		71243	54522	16721	58005	6992	3274	2972	1988148

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2011-12)

प्रपत्र –ख

क्र.	विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल	35	4	31	0
2	समेकित बाल विकास विभाग	69	61	0	8
3	विभागीय जांच	2	2	0	0
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	232	196	4	32
5	आयुर्वेद विभाग	55	46	9	0
6	गृह विभाग	3	3	0	0
7	वित विभाग	391	329	21	41
8	पर्यावरण	1	0	1	0
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	6	6	0	0
10	अल्प संख्यक मामलात	11	10	0	1
11	स्वायत शासन विभाग	83	83	0	0
12	जयपुर विकास प्राधिकरण	1246	1141	105	0
13	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	4	0	4	0
14	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल विभाग	1	0	1	0
15	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	88	0	88	0
16	जवाहर कला केन्द्र	9	9	0	0
17	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	6	6	0	0
18	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	9	9	0	0
19	राजस्थान निर्वाचन आयोग	6	5	1	0
20	आयोजना विभाग	1	1	0	0
21	एच.सी.एम. रीपा	5	0	5	0
22	विधि विभाग	45	3	42	0
23	उर्जा विभाग	748	437	213	98
24	उद्योग विभाग	125	43	81	1
25	जल संसाधन विभाग	15	15	0	0
26	तकनीकी शिक्षा विभाग	11	11	0	0
27	राजभवन, जयपुर	22	0	22	0
28	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रीमण्डल विभाग	34	29	2	3

क्र.	विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
29	राजस्थान लोक सेवा आयोग	626	142	440	44
30	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	3	3	0	0
31	सहकारिता विभाग	224	174	34	16
32	राजस्थान आवासन मण्डल	386	302	49	35
33	कृषि विभाग	92	45	47	0
34	सावर्जनिक निमाण विभाग	255	229	21	5
35	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	3	3	0	0
36	नगर निगम, जयपुर	954	378	535	41
37	सैनिक कल्याण	2	2	0	0
38	श्रम एवं नियोजन विभाग	6	6	0	0
39	पर्यटन विभाग	21	21	0	0
40	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	111	84	27	0
41	राजस्थान सूचना आयोग	73	10	63	0
42	उच्च शिक्षा विभाग	77	76	0	1
43	देवस्थान विभाग	78	33	45	0
44	विधुत नियामक आयोग	9	9	0	0
45	निर्वाचन विभाग	32	16	15	1
46	महिला आयेाग	0	0	0	0
47	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	3	3	0	0
48	कार्मिक विभाग	285	249	34	2
49	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	105	85	20	0
50	चिकित्सा शिक्षा विभाग	49	45	3	1
		6657	**4364**	**1963**	**330**